जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2 ( )जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2024/ **दिनांकः–**

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 203वीं बैठक दिनांक 22.11.2024 को प्रातः 04:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में ''चिंतन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण **परिशिष्ठ 'अ'** पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

क्र.सं.	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	**203:1**	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 202वीं बैठक दिनांक 30.10.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 202वीं बैठक दिनांक 30.10.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदया द्वारा लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गए।
2.	7	**203:2**	नवीन कार्यालय सहायक अभियंता, झोटवाड़ा हेतु जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना रेस्टोरेन्ट/कैफेटेरिया के पब्लिक यूटीलिटी भूखण्ड(पी.यू.–2) क्षेत्रफल 2078.76 व.मी. भूमि आवंटन करवाने बाबत्।	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के क्रम में समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर आवंटन का प्रस्ताव भू–आवंटन नीति– 2015 तथा नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 06.08.2009 के क्रम में प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन की अनुशंषा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय किया गया।
3.	9	**203:3**	विजेन्द्र सिंह ट्रस्ट को बॉक्सिंग एकेडमी हेतु जगतपुरा शूटिंग रेंज के पास निजी खातेदारी की आवासीय योजना शिव नगर विस्तार की सुविधा क्षेत्र मे उपलब्धता के अनुसार 2628.72 वर्ग गज भूमि आवंटन बाबत।	जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली एलपीसी बैठक की अनुपालना करते हुए नियमानुसार गणना कर पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा प्रस्तावित भूमि का एण्डयूज निर्धारण हेतु बीपीसी (एलपी) को निर्देशानुसार प्रस्ताव प्रेषण प्रक्रियाधीन है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर एण्डयूज निर्धारण प्रक्रिया पूर्ण होने पर भू–आवंटन नीति–2015 के नियम 8.4 के अनुसार निर्धारित दर/शिथिलन पर आवंटन के संबंध में निर्णय हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय किया गया।
4.	10	**203:4**	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु पुलिस आयुक्तालय को पुलिस थाना जामडोली के प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु खसरा नं. 215 रकबा 4.0468 हेक्टर किस्म चारागाह मे से 7000 व.मी. भूमि आवंटन बाबत्।	जोन द्वारा पुलिस आयुक्तालय को पुलिस थाना जामडोली के प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु खसरा नं. 215 रकबा 4.0468 हेक्टर किस्म चारागाह मे से 5000 व.मी. भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर इकोलोजिकल भू उपयोग में जन उपयोगी गतिविधियों को अनुज्ञेय किये जाने ... नीति मार्गदर्शिका ... दिनांक 10.10.

RajKaj Ref 11987757

Signature valid
Digitally signed by Shiv Prasad Singh
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.11.25 [illegible]:52:04 IST
Reason: Approved

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर 302004
दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}: फेक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

				2024 को राज्य सरकार को प्रेषित पत्र के समान प्रकरण होने की दशा में भू–आवंटन नीति–2015 के प्रावधानानुसार निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय किया गया।
5.	10	**203:5**	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जयसिंहपुरा खोर जयपुर के भवन विस्तार के लिये 6000 व.मी. भूमि का आवंटन कराकर भवन निर्माण व विस्तार कर मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मे क्रमोन्नत करवाये जाने बाबत्।	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के क्रम में जोन द्वारा खसरा नम्बर 1853 रकबा 6.3991 हैक्ट. में से 6000 व.मी. भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर इकोलोजिकल भू उपयोग में जन उपयोगी गतिविधियों को अनुज्ञेय किये जाने के क्रम में नीतिगत मार्गदर्शन बाबत पूर्व में दिनांक 10.10.2024 को राज्य सरकार को प्रेषित पत्र के समान प्रकरण होने की दशा में भू–आवंटन नीति–2015 के प्रावधानानुसार निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय किया गया।
6.	10	**203:6**	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु बाल अधिकारिता विभाग को बालिका आवासीय विद्यालय हेतु जामडोली के खसरा नं. 215 रकबा 4.0468 हैक्टेयर किस्म चारागाह मे से 4 हैक्टेयर भूमि आवंटन बाबत्।	जोन द्वारा बाल अधिकारिता विभाग को बालिका आवासीय विद्यालय हेतु जामडोली के खसरा नं. 215 रकबा 4.0468 हैक्टेयर किस्म चारागाह मे से 2 हैक्टेयर भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर इकोलोजिकल भू उपयोग में जन उपयोगी गतिविधियों को अनुज्ञेय किये जाने के क्रम में नीतिगत मार्गदर्शन बाबत पूर्व में दिनांक 10.10.2024 को राज्य सरकार को प्रेषित पत्र के समान प्रकरण होने की दशा में भू–आवंटन नीति–2015 के प्रावधानानुसार निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय किया गया।
7.	11	**203:7**	सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया/बगरूखुर्द के आवासीय भूखण्ड़ संख्या 56 क्षेत्रफल 375 वर्गमीटर का क्षेत्रफल 485.66 वर्गमीटर होने से बढे हुए क्षेत्रफल 110.66 वर्गमीटर भूमि का आवंटन भूखण्ड संख्या 56 के आवंटी श्री लालाराम को आवंटन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर बढे हुए क्षेत्रफल के संबंध में दिनांक 23.12.2021 को जारी आदेश के क्रम में 100 वर्गगज से अधिक बढा हुआ क्षेत्रफल होने के कारण आवासीय आरक्षित दर की दुगनी दर लेने की अनुशंषा के साथ प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय किया गया। प्राप्त ऐजेण्डा में जोन द्वारा योजना की वर्तमान आरक्षित दर का उल्लेख आवासीय आरक्षित दर 6000 रू. प्र.व.मी. दर्शायी गई है, जबकि दिनांक 31.10.2024 से लागू संशोधित आरक्षित दर [illegible] दर 8000 रू.प्र.व.मी. लेय है।
8.	12	**203:8**	ग्राम धर्मपुरा तहसील कालवाड़	श्री ब[illegible] अध्यक्ष [illegible]न्तीय भाट,

RajKaj Ref 11987757

Signature valid
Digitally signed by Shiv Prasad Singh
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.11.25 21:52:04 IST
Reason: Approved

			जविप्रा स्वामित्व की भूमि के खसरा नम्बर 1/80 रकबा 2.5293 हैक्टेयर किस्म बारानी–3 भूमि में से प्रान्तीय भाट, भाण्ड़, राणा, डोली, नट समाज को छात्रावास एवं सामुदायिक भवन हेतु क्षेत्रफल 1500.00 व.मी. भूमि का आवंटन करने बाबत।	भाण्ड़, राणा, डोली, नट समाज के आवेदन पर जोन द्वारा छात्रावास एवं सामुदायिक भवन हेतु ग्राम धर्मपुरा तहसील कालवाड़ जविप्रा स्वामित्व की भूमि के खसरा नम्बर 1/80 रकबा 2.5293 हैक्टेयर किस्म बारानी–3 भूमि में से 1500 व.मी. भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर भू–आवंटन नीति– 2015 में निर्धारित दर/शिथिलन पर आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय किया गया।
9.	12	**203:9**	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (जे.जेड.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा ग्राम जयपुरियोकाबास तह. जयपुर में स्थित निजी खातेदारी योजना श्रीधर नगर में आरक्षित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 1500.00 व.मी. भूमि में 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन के क्रम में।	जोन द्वारा जविप्रा की अनुमोदित योजना श्रीधर नगर में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्डों का विवरण प्रस्तुत करते हुए सुविधा क्षेत्र भूखण्ड 1513.82 व.मी. का आवंटन 33 केवी सब–स्टेशन हेतु किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर आवंटन का प्रस्ताव भू–आवंटन नीति–2015 तथा नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 06.08.2009 के क्रम में प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन किये जाने की अनुशंषा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय किया गया।
10.	12	**203:10**	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (जे.जेड.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा ग्राम भांकरोटाकलां तह. सांगानेर में स्थित निजी खातेदारी योजना बिरदा एनक्लेव में आरक्षित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 1500.00 व.मी. भूमि में 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन के क्रम में।	जोन द्वारा क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (जे.जेड.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को ग्राम भांकरोटाकलां तह. सांगानेर में स्थित निजी खातेदारी योजना बिरदा एनक्लेव में आरक्षित सुविधा क्षेत्र 3627.22 वर्गगज में से 1732.90 वर्गगज (1448.91 वर्गमीटर) क्षेत्रफल, 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर आवंटन का प्रस्ताव भू–आवंटन नीति–2015 तथा नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 06.08.2009 के क्रम में प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन किये जाने की अनुशंषा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय किया गया।
11.	12	**203:11**	श्री माहेश्वरी समाज जयपुर द्वारा ग्राम जयपुरियोकाबास तहसील जयपुर मे स्थित निजी खातेदारी योजना श्रीधर नगर मे आरक्षित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल	जोन द्वारा ग्राम जयपुरियोकाबास तहसील जयपुर में स्थित निजी खातेदारी योजना श्रीधर नगर में आरक्षित सुविधा क्षेत्र हेतु कुल 11831.58 व.मी. के आधे भाग 5915.79 व.मी. को पब्लिक यूटिलिटी सुविधा हेतु छोड़े के बाद शेष आधे सुवि[illegible]79 व.मी. में

RajKaj Ref 11987757

Signature valid
Digitally signed by Shiv Prasad Singh
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.11.25 21:52:04 IST
Reason: Approved

			3408.04 व.मी. भूमि मे जनोपयोगी/सामुदायिक भवन हेतु भूमि आवंटन के क्रम मे	से 3670.73 व.मी. क्लब हाउस तथा शेष 2155.06 व.मी. भूमि श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर भू–आवंटन नीति–2015 में निर्धारित दर/शिथिलन पर आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय किया गया।
12.	13	**203:12**	जविप्रा की व्यावसायिक योजना ट्रांसपोर्ट नगर के भूखण्ड संख्या बी–1/28 क्षेत्रफल 40.00 व.मी. के स्थान पर इस भूखण्ड के आवंटी को विनिमय में अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि– प्रस्ताव में खसरा सीमा से प्रभावित होने के उल्लेख अनुसार इस प्रकार के सभी प्रभावित भूखण्डों की मौका रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड अनुसार विवरण तैयार किया जाये। सभी प्रभावित भूखण्डों की लॉटरी का प्रस्ताव तैयार किया जाये। मौके का सर्वे एवं डिमार्केशन कराया जाकर समुचित प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
13.	14	**203:13**	जविप्रा की पार्थ नगर योजना के आवसीय भूखण्ड संख्या सी–530 क्षेत्रफल 54.00 वर्गमीटर के स्थान पर इस भूखण्ड के आवंटी को विनिमय द्वारा योजना में एकमात्र समान क्षेत्रफल के रिक्त उपलब्ध भूखण्ड संख्या सी–707 क्षेत्रफल 54.00 व.मी. का आवंटन करने बाबत्।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि– प्रस्ताव में मौके पर भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के आधार के उल्लेख अनुसार इस प्रकार के प्रभावित चारों भूखण्डों की मौका रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड अनुसार विवरण तैयार किया जाये। विनिमय में प्रस्तावित किये गये भूखण्ड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। मौके का सर्वे एवं डिमार्केशन कराया जाकर समुचित प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अन्य:– सभी जोन उपायुक्तों को निर्देशित किया गया कि–

- अपने–अपने जोन में जविप्रा द्वारा विभिन्न संस्थाओं/ट्रस्टों, आदि को पूर्व में किये गये भूमि आवंटन की शर्तों की पालना हेतु सर्वे करवाकर समीक्षा करें तथा शर्तों की पालना न किये जाने वाले प्रकरणों की रिपोर्ट 20 दिवस में एलपीसी शाखा को प्रेषित करें।
- जोन क्षेत्र में पूर्व में अनुमोदित की गई निजी खातेदारी योजनाओं के सुविधा क्षेत्र की उपलब्धता के संबंध में एलपीसी शाखा को रिपोर्ट प्रेषित करें।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

RajKaj Ref
11987757

Signature valid
Digitally signed by Shiv Prasad Singh
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.11.25 21:52:04 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त / अभियांत्रिकी–I, II / नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि / प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट / संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर–प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण–प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

RajKaj Ref
11987757

Signature valid

Digitally signed by Shiv Prasad Singh
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.11.25 21:52:04 IST
Reason: Approved

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर 302004
दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }